39–(08)–17–2015

पटना में दिनांक–16 जून, 2015 मंगलवार को अपराह्न 06:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

ऊर्जा विभाग

1. पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का दिनांक–31.10.2012 तक की अवधि में अनफण्डेड टर्मिनल बेनिफिट दायित्व के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए अनुमानित देय वार्षिक दायित्व के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में 632.43 करोड़ रूपये बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध कराने की स्वीकृति एवं वर्त्तमान में 210 करोड़ (दो सौ दस करोड़ रूपये) रूपये तथा शेष 422.43 करोड़ रूपये दो बराबर किस्तों में बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

1. **स्वीकृत।**

कृषि विभाग

2. जैविक खेती प्रोत्साहन योजना के लिए वर्ष 2015–16 में 20000.00 लाख रूपये (बीस हजार लाख रूपये) की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति।

2. **स्वीकृत।**

कृषि विभाग

3. कृषि रोड मैप के अधीन अनुदानित दर पर विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीज वितरण अन्तर्गत वर्ष 2010–11 से वर्ष 2014–15 तक के वितरित बीज के लंबित अनुदान राशि भुगतान हेतु 3286.93 लाख रू० की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति।

3. **स्वीकृत।**

भवन निर्माण विभाग

5. शास्त्रीनगर, पटना में विभिन्न श्रेणी के वरीय पदाधिकारी आवासन के निर्माण हेतु विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए वास्तुविद् परामर्शी के चयन के लिए सैद्धांतिक सहमति के संबंध में।

5. **स्वीकृत।**

योजना एवं विकास विभाग

(बिहार आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सोसाईटी)

6. बिहार कोसी बाढ़ समुत्थान परियोजनान्तर्गत HRC-I, HRC-II एवं HRC-III श्रेणी के लाभुकों को इंदिरा आवास योजना के प्रति इकाई दर (45,000/–रूपये से बढ़ाकर 70,000 हजार रू०) में संशोधन के फलस्वरूप अन्तर राशि 25,000/–रूपये प्रति इकाई का व्यय परियोजना के तहत दिनांक–01.12.2014 से प्रभावी एवं इंदिरा आवास योजना के लिए कर्णांकित राशि की अनुपलब्धता के फलस्वरूप HRC-III की राशि का व्यय भी बिहार कोसी बाढ़ समुत्थान परियोजना मद से ही करने की स्वीकृति। — **6. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

7. सीतामढ़ी जिला बाजपट्टी प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का नामकरण शहीद रामफल मंडल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र करने के संबंध में स्वीकृति। — **7. स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

8. मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के संबंध में निर्गत विभागीय संकल्प संख्या–2375, दिनांक–12.05.2008 में आंशिक संशोधन एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य योजना अन्तर्गत मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के लिए पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राप्त राशि ₹ 20210.71 लाख (दो सौ दो करोड़ दस लाख एकहत्तर हजार रू०) सहायक अनुदान के रूप में व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — **8. स्वीकृत।**

कृषि विभाग

9. C.W.J.C No.-8302/2002 एवं समविषयक वाद में पारित न्यायादेश के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा दायर LPA एवं SLP माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज होने के बाद C.W.J.C 3900/1999 एवं अन्य समविषयक वाद में पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों के अधीनस्थ संस्थानों के लिपिक, लिपिक सह टंकक/टंकक सह लिपिक को विश्वविद्यालय मुख्यालय के सहायक के समान 01.03.1982, 01.04.1983, 01.01.1986, 01.01.1996 तथा 01.01.2006 से पूर्व में वादियों को स्वीकृत वेतनमान/वेतन संरचना के अतिरिक्त वादियों के सदृश अन्य कर्मियों को वेतनमान/वेतनमान संरचना की स्वीकृति तथा इसके फलस्वरूप कुल रू० 3,94,70,685/–(तीन करोड़ चौरानवे लाख सत्तर हजार छः सौ पच्चासी रू०) मात्र के व्यय की स्वीकृति। — **9. स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

10. बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 के आलोक में राजस्व मानचित्रों तथा खतियान के अद्यतनीकरण कार्यक्रम की चालू योजना को आगामी तीन वित्तीय वर्षों (2015–16, 2016–17 तथा 2017–18) तक अवधि विस्तार करने एवं पूर्व से सृजित कुल 3486 (तीन हजार चार सौ छियासी) पदों का अवधि विस्तार एवं योजना क्रियान्वयन हेतु राज्य योजना मद से कुल 31267.49 लाख (तीन अरब बारह करोड़ सड़सठ लाख उनचास हजार) रूपये तथा केन्द्रांश की राशि 18318.01 लाख (एक अरब तीरासी करोड़ अठारह लाख एक हजार) अर्थात् कुल मिलाकर 49585.50 लाख (चार अरब पंचानवे करोड़ पच्चासी लाख पचास हजार) रूपये के व्यय की स्वीकृति। **10. स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

11. वैशाली जिलान्तर्गत अंचल–राघोपुर, मौजा–जफराबाद (चादर नं०–02), थाना नं०–346, खाता नं०–536, खेसरा नं०–2795, रकबा–15.60 एकड़ (6.312 हेक्टेयर) बिहार सरकारी की भूमि किस्म 'नदी' का गंगा नदी के किनारे दीघा से दीदारगंज तक (लं०–21.5 कि०मी०) गंगा पथ परियोजना के निर्माण हेतु पथ निर्माण विभाग, बिहार को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण करने के संबंध में। **11. स्वीकृत।**

वित्त विभाग

12. बिहार वित्त नियमावली में संशोधन के संबंध में। **12. स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

13. वित्तीय वर्ष 2015–16 में सर्व शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत केन्द्रांश के प्रथम किस्त के रूप में प्राप्त ₹ 10,86,27,02,000/–(दस अरब छियासी करोड़ सताईस लाख दो हजार रूपये) की सहायक अनुदान मद में व्यय एवं विमुक्ति के प्रस्ताव में स्वीकृति। **13. स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

14. वित्तीय वर्ष 2015–16 में सर्व शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत केन्द्रांश के प्रथम किस्त के रूप में प्राप्त ₹ 10,86,27,02,000/–(दस अरब छियासी करोड़ सताईस लाख दो हजार रूपये) के विरूद्ध समानुपातिक राज्यांश के रूप में ₹ 5,84,91,47,231.00 (पाँच अरब चौरासी करोड़ इकानवे लाख सैतालीस हजार दो सौ इक्तीस रूपये) की सहायक अनुदान मद में व्यय की स्वीकृति एवं विमुक्ति। **14. स्वीकृत।**

ग्रामीण कार्य विभाग

15. ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–उप शीर्ष–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड संपोषित योजना) के अन्तर्गत बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में (परिशिष्ट–1 के रूप में संलग्न सूची के अनुरूप) कुल 97 पुलों का निर्माण कार्य जिसकी कुल लम्बाई 4817.53 मी० एवं राशि 343.28483 करोड़ रूपये है के संबंध में।

15. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

16. मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष में पूर्व से प्रावधानित राशि में वृद्धि करने एवं अधिसूचित रोगों के अलावे अन्य रोगों को शामिल करने के संबंध में।

16. **स्वीकृत।**

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

17. बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय समय पर यथा संशोधित) की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित विभागों की सूची के क्रमांक–01 में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को आवंटित कार्यों के वर्गीकरण और वितरण की सूची के उप क्रमांक–1 (क) में क्रमांक–24 के बाद नया उप क्रमांक–"24 क– मुख्यमंत्री के परामर्शी की नियुक्ति" एवं क्रमांक–24 ख–'मंत्रिमंडल की स्थायी समितियाँ, मंत्रिपरिषदीय समितियाँ, राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति एवं मंत्रियों के समूह का गठन" जोड़े जाने तथा बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय समय पर यथा संशोधित) का नियम 32 (क) में (xx) के बाद एक नयी उप कंडिका "(xxi) 'मंत्रिमंडल की स्थायी समितियाँ, मंत्रिपरिषदीय समितियाँ, राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति एवं मंत्रियों के समूह का गठन" के रूप में जोड़े जाने के संबंध में।

17. **स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

18. नेपाल स्थित सम्पर्क तथा भू–अर्जन कार्यालयों के संगठनात्मक पुनर्गठन का प्रस्ताव।

18. **स्वीकृत।**